

पक्षकारान ने अपने बयान कलमबद्ध करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, खतोनीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत नागडदा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम साजीतडा, तहसील शिव के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पत्ति की है। जो उन्हें प्रागसिंह पुत्र विरधसिंह से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार कानसिह के तीन पुत्र— रूपसिंह, हेमसिह, रावलसिह है और इनके अतिरिक्त कानसिह के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भूमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 शिव, पटवार मण्डल नागडदा, के ग्राम विरधसिंह की ढाणी में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 197, 208, 242 रकबा कमशः 25.11, 48.05, 195.02 बीघा, कुल रकबा 268.18 बीघा भूमि में प्रत्येक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
(शिव) शिव

| दिनांक | हुकम कार्यवाही मय इनिषियल्स जज | नम्बर व तारीख जो हुकम की त जारी हुए |
|------------|--|-------------------------------------|
| 05.12.2019 | <p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता उप0।</p> <p>वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 197, 208, 242 रकबा क्रमशः 25.11, 48.05, 195.02 बीघा, कुल रकबा 268.18 बीघा मौजा विरधसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल- नागडदा, तह0 शिव में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 प्रागसिंह पुत्र विरधसिंह के नाम से आई हुई थी। जो उनके देहावसान पर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासती हिस्से अनुसार प्राप्त हुई। जिसका राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामंद विरासत के नामान्तरकण की स्वीकृति से हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में विभाजित होकर नवसृजित ग्राम विरधसिंह की ढाणी, में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 197, 208, 242 रकबा क्रमशः 25.11, 48.05, 195.02 बीघा, कुल रकबा 268.18 बीघा वाके मौजा विरधसिंह की ढाणी, पटवार मण्डल नागडदा, तह0 शिव में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आई हुई है। वादीगण जाति से राजपुत होने से हिन्दू विधि से शासित होते हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु वादीगण के पितामह प्रागसिंह पुत्र विरधसिंह के फोट होने पर दायर नामान्तरकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से राजस्व रेकॉर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए। अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।</p> <p>वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकॉर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अजखुद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा माफिक वाद स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष ने बतौर साक्ष्य अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं अजखुद अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर बाद तस्दीक राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया।</p> | |


सहायक कलेक्टर
(SPO) शिव

